5911/139/2015 संख्या-249/33-3-2015-22/2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 फरवरी, 2015

विषयः-जनपदों में स्थापित पंचायत उद्योगों व अन्य संस्थाओं पर सेनटरी नेपकिन के उत्पादन हेतु सेनटरी नेपकिन मशीन की स्थापना करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि महिलाओं में मासिक धर्म एक प्राकृतिक किया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 03 प्रतिशत महिलायें व किशोरी ही "सेनटरी नेपकिन" का प्रयोग करती है। शहरी व ग्रामीण महिलायें गंदे कपड़ें आदि का प्रयोग करती है, जिसके कारण अधिकांश शरीर के अंगों में संकमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा आने वाली संतति पर भी कुप्रभाव पड़ता है। इसका मुख्य कारण मासिक धर्म के प्रति अशिक्षा तथा बाजारों में मंहगें सेनटरी नेपकिन की बिकी भी है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के जनपद महोगा एवं बाराबंकी में पंचायत उद्योग के माध्यम से तथा मथुरा में पी0पी0पी0 माडल से एक कुटीर उद्योग द्वारा लो-कास्ट सेनटरी नेपकिन का उत्पादन एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत रिवाल्विंग फंड की मद से धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

2- इस कार्यकम के निम्नलिखित उद्देश्य हैः-

(1) कम लागत पर सेनटरी नेपकिन को बड़े पैमाने पर उत्पादन जिससे ग्रामीण महिलाओं एवं किशोरियों को उनके वित्तीय संसाधन के अनुरूप कम कीमत पर सेनटरी नेपकिन उपलब्ध कराये जा सके।

(2) शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को रोजगार के साधन के रूप में पेनकिन उत्पादन का प्रशिक्षण के मध्यम से उनकी आमदनी में अधिक वृद्धि करना।

(3) शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं व किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूकता करना।

(4) विद्यालयों में किशोरावस्था में ही स्त्री वर्ग को मासिक धर्म के समय स्वच्छता प्रबन्धन के संबंध में शिक्षित करना व स्वयं सेवक तैयार करना।

651
जि० पं० रा० अ० (मु०)
निदेशक 24/2/15
शीघ्र
24/2/2015
(एस० [illegible] सिंह)
जिला पंचायत राज अधिकारी (मु०)
पंचायती राज, उ० प्र०।

3– उक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद में सेनटरी नेपकिन उत्पादन केन्द्र के अधिष्ठापन करने का निर्णय लिया गया है। उक्त हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है:–

(I) प्रथम चरण में प्रत्येक मण्डल के एक जनपद में यह इकाई अधिष्ठापित की जायेगी, प्रत्येक मण्डल में कमशः जनपद आजमगढ, महराजगंज, मुरादाबाद, बरेली, गोण्डा, मेरठ, सहारनपुर, जलौन, प्रतापगढ, बस्ती, मिर्जापुर, हरदोई, आगरा, अलीगढ तथा कानपुर में यह इकाई अधिष्ठापित की जायेगी, चूँकि इन जनपदों में कम से कम एक पंचायत उद्योग सकिय है और जमीन आदि की उपलब्धता भी है। फैजाबाद मण्डल के जनपद बाराबंकी व चित्रकूट मण्डल के जनपद महोबा में पहले से ही यह इकाई अधिष्ठापित है और सेनटरी नेपकिन का उत्पादन किया जा रहा है।

(II) जनपद में इच्छुक संस्था/पंचायत उद्योग क्षमता का आकलन किया जायेगा।

(III) स्वयं सेवी संस्था /पंचायत उद्योग/ग्राम पंचायत के पास इकाई अधिष्ठापन हेतु जमीन /मकान उपलब्ध होना आवश्यक है।

(IV) स्वयं सेवा संस्था/पंचायत उद्योग/ग्राम पंचायत एवं जिला स्वच्छता समिति की तरफ से जिला पंचायत राज अधिकारी के मध्य द्विपक्षीय अनुबन्धन कराया जायेगा।

(V) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों दोनों से आवागमन के सुगम साधन उपलब्ध न होने वाले स्थान का चयन किया जायेगा।

(VI) मशीन क्रय करने एवं एक वर्ष के लिए कच्चे माल की व्यवस्था के लिए अधिकतम रू0 3.50 लाख धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत रिवाल्विंग फंड से दी जा सकती है, जिसे प्रत्येक दशा में 12 माह के उपरान्त 12 मासिक किश्तों में वापसी की जायेगी। यदि उद्योग अथवा सस्थायें धनराशि समय से वापस नहीं करती हैं तो 04 प्रतिशत ब्याज की दर निर्धारित कर धनराशि वापस ली जायेगी।

(VII) प्रचार–प्रसार का कार्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत आई0ई0सी0 मद में उपलब्ध धनराशि से कराया जायेगा।

(VIII) शैक्षिक संस्थायें, जैसः– बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि उपलब्ध है, वहॉ स्वयं सेवक तैयार कर व्यापक प्रचार किया जायेगा।

(IX) मानकों के सम्बन्ध में निर्धारित संस्थाओं से प्रमाणन के उपरान्त ही सेनटरी नेपकिन बिक्री हेतु उपलब्ध करायी जायें।

(X.) उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत मामले में चिकित्सा अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–410/पॉच–9–2014–9(178)/11,दिनांक 04मार्च, 2014 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

अतः उक्त आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम चरण में प्रत्येक मण्डल में मण्डल मुख्यालय के जनपद में इस योजना को मॉडल के रूप में प्रारम्भ किया जाये। यदि मण्डल मुख्यालय पर कोई पंचायत उद्योग सक्रिय नहीं है तो किसी अन्य संस्था के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की सम्भावना देखी जाये यदि कोई अन्य संस्था भी इस योग्य नहीं पायी जाती है तो मण्डल के किसी अन्य जनपद में जहॉ पंचायत उद्योग सक्रिय हो इस योजना को प्रारम्भ कराया जाये।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव,माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5– प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।